

# HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (OTS), J.L.N. MARG, JAIPUR

## BID DOCUMENT FOR PURCHASES OF DINING TABLE AND DINING CHAIR IN HOSTEL (VISHRANTI) JAIPUR

### NOTICE INVITING BID

NIB No. Date : \_\_\_\_\_

Sealed unconditional Bids in Single envelopes are invited on behalf of the Government of Rajasthan/HCM RIPA (OTS), Jaipur for the procurement of Dining Table and Dining Chair from firm's registered as MSME with department of Industries Government of Rajasthan for the office located at the above mentioned address. The bidding document along with Bid Security duly filled and signed should be addressed to the Additional Director HCM RIPA, JAIPUR .

:-

| Sr. No. | Description  | Remark  |
|---------|--|---|
| 1.      | Goods to be purchased  | 25 Nos. Dining Table<br>150 Nos. Dining Chair's   |
| 2.      | Estimated value of Goods   | Rs. 7,00,000/- (Seven Lac. only)  |
| 3.      | Cost of BID Document   | Rs. 400/- (Rupees Four Hundred only) (Non-refundable) Either by cash or Bankers Cheque / DD Drawn in favour of Director , HCM RIPA , Jaipur |
| 4.      | Amount of Bid Security   | Rs. 3,500/- (Rs. Three thousand five hundred Only)  |
| 5.      | Date and Time of uploading of BID Document                           | 28-07-2017  |
| 6.      | Last Date for submission of BID                                      | 14-08-2017 up to 01.30 PM at Reception, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur  |
| 7.      | Date/Time/Place of opening of Bid                                    | 14-08-2017 up to 03.00 PM   |
| 8.      | Websites for downloading Bid Document, Corrigendum's/ Addendums etc. | <a href="http://www.hcmripa.gov.in">www.hcmripa.gov.in</a><br><a href="http://sppp.raj.nic.in">http://sppp.raj.nic.in</a>                   |
| 9.      | Validity of Bid  | 90 days from the date of opening of BID   |
| 10.     | Performance Security   | 1% of approved bid price from successful bidder   |

1. Detail of this bid can also be seen on website [www.hcmripa.gov.in](http://www.hcmripa.gov.in) & <http://sppp.raj.nic.in>
2. The bid security/ performance security may be given in the form of, a banker's cheque or demand draft or bank guarantee, in specified format, of a scheduled bank. If for any reason, the date of opening of Technical Bid be a holiday, the same shall be opened at the same time on next working day.
3. The bidder who had downloaded the BID document from the website should submit separate DD along with BID fee Rs.400/- (Four hundred only) and this should be attached with the fee for BID SECURITY in BID document; else BID document for the bid will not be accepted. RIPA reserves the right to accept / reject any of the BID(s) without assigning any reason whatsoever and shall be final and binding.

ADDITIONAL DIRECTOR  
HCM RIPA

---

क्रमांक: एफ.10(3)(8) / टेबल एवं कुर्सी क्रय / विश्रान्ति / रीपा / 2017 / दिनांक:  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमती सुधा सिंह, प्रोग्रामर, ह.च.मा.रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन SPPP पोर्टल पर तथा रीपा वेबसाईड पर करवाने का श्रम करें।
2. गार्ड फाईल

Joint Director &  
OIC(Vishranti)

राजस्थान सरकार  
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग ,जयपुर-302017

डायनिंग टेबल एवं डायनिंग कुर्सी क्रय करने हेतु बोली प्रपत्र

अनुमानित व्यय 7.00 लाख रूपयें

फर्म/व्यक्ति का नाम व पता  
मय दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स

सेवा में,

महानिदेशक महोदया,  
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान  
जयपुर-302017

विषय: डायनिंग टेबल एवं डायनिंग कुर्सी क्रय करने हेतु खुली बोली आमंत्रित  
करने बाबत।

महोदया,

उक्त विषयान्तर्गत हम आपके संस्थान द्वारा आमंत्रित की गई खुली बोली के अन्तर्गत डायनिंग टेबल एवं डायनिंग कुर्सी तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार आपूर्ति करने की वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र संलग्नक Annexure A में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें बोली की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

धन्यवाद।

भवदीय,

(बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील)

अन्तिम तिथि 14.08.2017  
समय दोपहर 01.30 बजे तक

राजस्थान सरकार  
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग ,जयपुर-302017

क्रमांक: एफ.10(3)(8)/टेबल एवं कुर्सी क्रय/विश्रान्ति/रीपा/2017/ दिनांक:

1. बोलीजिस कार्य के लिये है उसका नाम:-डायनिंग टेबल एवं डायनिंग कुर्सी क्रय
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता:-  
.....
3. फर्म के दूरभाष नम्बर व फैक्स नम्बर:-  
.....  
.....
4. विज्ञापन संख्या व दिनांक.....  
.....
5. हमने ह.च.मा. रीपा, जयपुर बोली की शर्तों को भली प्रकार से पढ़ लिया है तथा बोली सूचना संख्या.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों की सहमति में हस्ताक्षर कर दिये हैं। उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. आपूर्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस में सामग्री उपलब्ध (मय इन्स्टोलेशन) करा दी जावेगी।
7. MSME के रूप में Registration की प्रति संलग्न कर दी गयी है।
8. डीलर का PAN (प्रति संलग्न)
9. जी.एस.टी./वेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं नवीनतम क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न)(यदि लागू हो)
10. एनेक्सचर ए,बी,सी एवं डी हस्ताक्षर कर संलग्न है।
11. बोली प्रपत्र मूल्य राशि 400/- को नगद रसीद संख्या.....दिनांक.....से आपके कार्यालय में जमा करा दिया है अथवा हमारी फर्म ने बोली प्रपत्र डाउनलोड किया है। इस हेतु उक्त बोली प्रपत्र मूल्य रूपयें 400/- का बैंकर चैक/ड्राफ्ट निदेशक ह.च.मा. रीपा, जयपुर के नाम संलग्न है।
12. बोली प्रतिभूति राशि 3,500/- का नकद/बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक ह. च.मा. रीपा, जयपुर के नाम संलग्न है।
13. डायनिंग टेबल एवं डायनिंग चेयर का नमूना विश्रान्ति मैस में देख कर उसके अनुसार सप्लाय की दरें प्रस्तुत करें।

(बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

**राजस्थान सरकार**  
**हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान**  
**जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017**

**खुली बोली के लिए बोली की शर्तें**

**टिप्पणी:** बोली दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलों भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

**बोली की शर्तें:-**

1. बोली निश्चित दिनांक एवं समय तक बोली सूचना में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी। विलम्ब/देरी से प्राप्त बोलियों पर तथा विहित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. बोली वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा ही दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे। (संलग्न एसआर.11)
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।  
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
4. बिक्री कर/जी.एस.टी. पंजीयन एवं बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र: कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।(यदि लागू हो)
5. **फर्म** को जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की जावे।
6. बोली प्रतिभूति राशि 3,500/- रूपये नकद, डी.डी., बैंकर्स चैक से से जमा करानी होगी।
7. बोली प्रपत्र ह.च.मा. रीपा कैंशीयर से रूपये 400/- का नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र बेबसाईट से डाउनलोड किया जाता है तो बोली प्रपत्र के साथ 400/- रूपये का डी0डी0/बैंकर्स चैक निदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
8. बोली प्रपत्र सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 14.08.2017 अपराह्न 01.30 बजे तक स्वागत कक्ष, नेहरू भवन, ह.च.मा. रीपा जयपुर में प्रस्तुत करें। विलम्ब से प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. **विधिमान्यता:** बोलियाँ, उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
10. अनुबन्धकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले वस्तुओं सम्बन्धी शर्तों, विनिर्देशों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े पर नहीं देगा।

12. **विनिर्देश:** प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस. आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हों वहाँ उन मदों को पूर्ण रूप से उन विनिर्देश के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
13. **निरीक्षण:** (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय सेवादाता/ अनुबन्ध कर्ता के कार्य स्थल के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।  
(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।
14. अनुबन्ध हेतु संविदा को, यदि अनुबन्ध क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. **सामान आपूर्ति करने की अवधि:**— बोलीदाता को फर्नीचर आदेश जारी होने के 15दिवस में आपूर्ति करना होगा।
17. **बोली प्रतिभूति:**— (क) बोली के साथ 3,500/- रु. की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर के पक्ष में नकद, बैकर्स चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट में माध्यम जमा कराई जायेगी। एम एस एम ई पंजीकृत राजस्थान की इकाईयों के लिये बोली प्रतिभूति राशि बिड वैल्यू की 0.5 प्रतिशत है। इस हेतु आवश्यक वैध पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा।  
(ख) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:** असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।  
(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्र आर टी पी पी रूल्स 42(3) के अनुसार देना होगा।  
(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलियों के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।
18. **बोली प्रतिभूति का समाहरण:**— बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा।  
(i) जब बोलीदाता बोलीखोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।  
(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।  
(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।  
(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहाता है।
19. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप: —**  
(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में स्वयं के खर्च पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रदाय आदेश की रकम के 1 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करानी होगी।

- (ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।
- (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/एफडीआर (विभाग के नाम) के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
- (v) बोली प्रतिभूति राशि फर्म के द्वारा संतोषजनक सप्लाई/सेवाए देने तथा गारन्टी अवधि पूर्ण होने के एक माह उपरान्त लौटा दी जावेगी।
- (vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण:** पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा:-
- (अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।**
20. **भुगतान:**(i) फर्म के द्वारा संतोषजनक सप्लाई व इन्सन्टालेशन का तकनीकी अधिकारी के प्रमाणीकरण उपरान्त पूर्ण भुगतान कर दिया जावेगा।
- (ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- (iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
21. (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- (ii) परिसमापित नुकसानी:- जी.एफ.एण्ड ए आर में विहित परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी। (2.5%/5%/7.5%/व 10% प्रतिशत)
- (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
22. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
23. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं

- के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। न्यूनतम दर पर एक से अधिक बोलीदाताओं से दर संविदा की जा सकती है। विभाग की कमेटी को बोली प्रपत्रों में प्राप्त किसी विशेष ब्राण्ड को गुणवत्ता के आधार पर तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। बोली में उल्लेखित समस्त आइटमों की दरों को अंकित कराना अनिवार्य है।
24. सफल बोलीदाताको अपने खर्च पर बोली स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से 7 दिवस में निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार 500/ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना पड़ेगा। बोली दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
25. प्रदाय करने में विलम्ब होने पर नियमानुसार परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली की जाएगी।
26. एनेक्सचर 'ए' में दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इनकी ड्राईंग एवं डिजाईन संलग्न है नमूने सम्बन्धित जानकारी कार्यालय समय में विश्रान्ति मैस में प्राप्त की जा सकती है।
27. आपूर्ति की गई सामग्री के गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में जाँच हेतु भेजने पर जाँच का प्रभार आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
28. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार/(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
30. शेष शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार मान्य होगी।
31. RTPP Act, 2012 की धारा 46 के तहत विवर्जित फर्म बोली में भाग लेने की पात्र नहीं होंगी।
32. उपापन प्रक्रिया के दौरान बोली दस्तावेजों में विहित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर बोलीदाताओं द्वारा अपील की जा सकती है।
33. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग करने पर उपापन संस्था आर.टी.पी. पी. एक्ट 2012 की धारा 11 की उप धारा 3 और धारा 46 के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
34. आरटीपीपी एक्ट प्रावधान अनुसार संलग्न एनेक्सचर ए,बी,सी एवं डी पर फर्म हस्ताक्षर कराते हुये संलग्न करेगें।
35. बोली शर्तों के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण वांछित हो तो कार्यालय समय में भण्डार अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ कि जिन सामग्री के लिए मेरे/हमारे द्वारा निविदा दी गई है मैं/हम उनके बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय एजेंट है। (लागू पर का निशान लगाया जावे)

यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

## Annexure –A

राजस्थान सरकार  
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

### FINANCIAL BID

Vendors shall quote all inclusive of prices (i.e. price inclusive of all taxes, Transportation and all other expenses for delivery and installation per item)

| Sr. No. | Name of the item  | Nos. | Amount in figure's including all taxes levies and transportation | Amount in words including all taxes levies and transportation |
|---------|---|------|--|---|
| 1.      | <p>Dining Table for six person :- <u>M.P. Teak Wood</u></p> <p><b>Table Size</b> :60"x36"x30" with Corner's</p> <p>Top Size : 60"x36" x1½<br/>19 MM <b>Block Board ISI mark</b><br/>1MM Sunmica Teak Colour<br/><b>45MMx6MM Teak bidding</b><br/>Two support 4"x1½</p> <p>Legs Size : 3"x3"<br/>Side Patti : 4"x1-1/4"</p> <p>Polish : Dark Brown sprit polish</p>  | One  |  |   |
| 2.      | <p>Dining Chair :- <u>M.P. Teak Wood</u></p> <p><b>Size</b> :36"x18"x18" with Corner's<br/>Front Legs : 18"x2"x1-1/4 "<br/>Back Legs : 36"x2"x1-1/4"<br/><b>Back Patti size</b> : 3"x1"<br/><b>Bottam Side Patti</b> :1½x1½<br/><b>Seat Size</b> : 15"x 15"<br/>40 Dencity Foam, Tepestry with Ply : 12MM</p> <p>Polish : Dark Brown sprit polish</p> <p>Note: Tepestry/Cloth of seat must be got approved from purchase committee.</p> | One  |  |   |

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर